



राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड
गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्क्रीम, जयपुर - 302005 (राज.)

फोन नं. 0141-2228066, 2228064 फैक्स नं 0141-2228065 वेबसाइट : www.rmssc.nic.in
सीआईएन : U24232RJ2011SGC035067 ई-मेल :: edprocurement@gmail.com एवं rmssc@nic.in


क्रमांक : एफ.02(161)/आरएमएससी/प्रोक्यू/इंग / 2014/1469 दिनांक 7.10.15

कार्यालय आदेश

निविदा सूचना क्रमांक एफ. F.02(128)/RMSC/PROCUREMENT/DRUG/NIB-09/2014/635 Dated 09.06.2014 के अन्तर्गत अनुमोदित निम्न आईटमों की दर संविदा में कॉलम संख्या 7 के अनुसार दर संविदा समाप्ति दिनांक से 3 माह (कॉलम संख्या 8 में अंकित तिथि तक) या नवीन निविदा में कम दरें अनुमोदित होने की दिनांक तक ,जो भी पहले हो तक की वृद्धि की जाती है:-

S. No.	Name of Firm	Code No.	Product Descriptions	Packing unit	Approved rate	Valid up to	Extended upto
1.	Wipro GE Healthcare Private Limited	3	4	5	6	7	8
1.	Wipro GE Healthcare Private Limited	235	Gadodiamide Inj. 0.5 mmol/ml Vial	10 ml vial	790.00 +2% CST	08.10.2014 to 07.10.2015	06.01.2016
2.	Martin & Brown BioSciences	321	Chloramphenicol Eye Drops 0.5%	5ml vial with sterilized dropper , or squeeze vial	4.00 +1.5 % CST	08.10.2014 to 07.10.2015	06.01.2016
3.	Martin & Brown BioSciences	328	Sulfacetamide Eye drops 20%	5 ml Vial with sterilized dropper , or squeeze Vial	6.80 +1.5 % CST	08.10.2014 to 07.10.2015	06.01.2016
4.	Axa Parenterals Ltd	367	Budesonide Nebulizer Suspension 0.25mg/ ml	2 ml Amp (10 ampoules)	54.80 + 2 % CST	08.10.2014 to 07.10.2015	06.01.2016
5.	Martin & Brown BioSciences	418	Betamethasone Sodium Phosphate injection IP 4mg/ml	1 ml Vial/Ampoules	2.20 + 1.5 % CST	08.10.2014 to 07.10.2015	06.01.2016

उक्त दर संविदा की अवधि में अभिवृद्धि के लिये प्रबन्ध निदेशक आरएमएससी से अनुमोदन प्राप्त है।



कार्यकारी निदेशक (पी.)
आरएमएससी

दिनांक 7.10.15

क्रमांक : एफ.02(161)/आरएमएससी/प्रोक्यू/इंग/2014/1469

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशेषाधिकारी, आरएमएससी को दी जाकर लेख है कि कयादेश देने से पूर्व विद्यमान बैंक गारण्टी की वैधता अवधि की सुनिश्चिता तथा मूल दर संविदा से मिलान कर लें।
2. कार्यकारी निदेशक , (वित्त/ क्यूसी) आरएमएससी।
3. एजीएम, आईटी, आरएमएससी को लेख है कि उपरोक्त दर संविदा की अवधि को ई-औषधि सॉफ्टवेयर में बढ़ाने का प्रावधान कराए।
4. रक्षित पत्रावली


कार्यकारी निदेशक (पी.)
आरएमएससी